


पदाधिकारी, पालभूम, जमशेदपुर को पत्राचार करें।

अभिलेख दिनांक 08.09.2017 को उपस्थापित करें।

लेखापित्र

  
28/08/17  
अंचल अधिकारी  
परमदा।


08.09.2017

04.10.2017

अभिलेख उपस्थापित। अनुमंडल पदाधिकारी, पालभूम, जमशेदपुर के आदेश ज्ञापान सं 3320/शां दिनांक 01.09.2017 द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी श्री अनिल कुमार अंचल निरीक्षक तथा पुलिस निरीक्षक तथा परमदा एवं पुलिस बल के साथ दिनांक 08.09.2017 को अतिक्रमण दृष्टान्त हेतु खाल पंहुंचे। वाद में निहित अतिक्रमणकारी को दाय प्रूप रूप से अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया था जिसका अमीन द्वारा ड्रेसिंग रूम में निहित अतिक्रमण रकवा के अनुसार अतिक्रमण मुक्त किया गया। भविष्य में पुनः अतिक्रमण न हो के संदर्भ में संबंधित दृक्का कर्मचारी को निर्देश दिया जाता है कि अतिक्रमण मुक्त सुमि का बीच-बीच में अपनी निगरानी में रकवा धुनिश्चर करें।

अतः वाद की कारवाई को समाप्त की जाती है।

लेखापित्र

  
28/10/17  
अंचल अधिकारी  
परमदा।